Fourteenth Loksabha

Session : 5
Date : 02-08-2005

Participants : Mohale Shri Punnulal

an>

Title: Need to bring a Constitutional Amendment bill to increase the number of seats for Lok Sabha and State Legislatures. – Laid.

श्री पुन्नू लाल मोहले (बिलासपुर) : अध्यक्ष महोदय, केन्द्र सरकार ने एक संविधान संशोधन विधेयक पास कर सन 2026 तक लोक सभा, ि वधान सभाओं की सीटें न बढ़ाने की व्यवस्था की है। वर्तमान में 1971 की जनगणना के आधार पर ही सीटों की संख्या निर्धारित है जबकि तब से देश की जनसंख्या ढाई गुना हो चुकी है।

यह भी कि कई राज्यों में लोक सभा के भौगेलिक क्षेत्र इतने बड़े होते हैं कि उनका दौरा करने में प्रतिनिधियों को काफी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। लगातार सम्पर्क न रख पाने से जनप्रतिनिधियों को आलोचना का शिकार होना पड़ता है। साथ ही क्षेत्र के विकास कार्यो में रूकावट हो रही है। छत्तीसगढ़ राज्य में सन 1991 के जनगणना में अनुसूचित जाति एवं जनजाति की संख्या ज्यादा थी, किंतु सन 2001 में उक्त वर्गों की जनसंख्या कम हो गयी, जिसकी जांच की जाये। क्योंकि वर्तमान में जो उक्त सीटों का परिसीमन रहा है, उसमें छत्तीसगढ़ राज्य में 5 सीटें अनुसूचित जनजाति की विधान सभा में तथा एक-एक सीट अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति की लोक सभा में कम हो रही है। इसी तरह अन्य राज्यों में भी उक्त वर्ग की सीटें प्रभावित हो रही हैं। झारखंड राज्य में भी लगभग 7 सीटें कम हो रही हैं, जिससे इस वर्ग में आक्रोश व्याप्त है क्योंकि ये दोनों राज्यों को बने हुए लगभग 4 साल हो गये हैं। इस कारण उन राज्यों का परिसीमन 10 र्वा के अंतराल में होना चाहिए। छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तरांचल नये राज्य बनते समय मात्र उत्तरांचल राज्य की सीटें ही बढ़ायी गयी थीं और इन दो राज्यों की संख्या नहीं बढ़ायी गयी। इस कारण सरकार सन 2001 के जनगणना के आधार पर संविधान संशोधन विधेयक पेश करके लोक सभा और विधान सभा की सीटें बढ़ायी जायें तथा छत्तीसगढ़ एवं झारखंड परिसीमन को रोक कर यथावत रखा जाये।